



Neutral Citation No.- 2026:AHC:12204

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण ज़मानत आवेदन संख्या-4673 वर्ष 2025

सोनू जाटव

..... आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... प्रतिपक्षी

आवेदक के अधिवक्ता: कुमार आशुतोष श्रीवास्तव, नागेंद्र बहादुर सिंह

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय सं - 66

माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण पहल

1. सूची को पुनरीक्षित किया गया है।
2. श्री गिरजेश कुमार श्रीवास्तव, अधिवक्ता श्री कुमार आशुतोष श्रीवास्तव, आवेदक के अधिवक्ता, श्री आर.पी. पटेल, राज्य के लिए राज्य विधि कार्यालय को सुना और अभिलेखों पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया।
3. प्रस्तुत ज़मानत आवेदन आवेदक द्वारा धारा 302 भ०द०वि०, थाना-पल्लवपुरम, ज़िला: मेरठ के तहत 2022 के सत्र विचारण संख्या-411, मुकदमा अपराध संख्या-374 वर्ष 2021 में दायर किया गया है, जिसमें उसे ज़मानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
4. इस न्यायालय ने संबंधित विचारण न्यायालय से मुकदमे की स्थिति मांगी थी। दिनांक 02.12.2025 की उक्त स्थिति रिपोर्ट के अनुसार, बचाव पक्ष के साक्ष्य के पूरा होने के बाद, अंतिम

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



दलीलों के लिए मुकदमे को तय किया गया है और यहां तक कि आंशिक दलीलें भी पूरी हो चुकी हैं, और शेष दलीलों के लिए तारीख 10.12.2025 निर्धारित की गई थी।

5. 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य, 2024 आईएनएससी 909 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि एक बार मुकदमा शुरू हो जाने के बाद, इसे अपने अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप या तो अभियुक्त को दोषसिद्धि या बरी किया जा सकता है। आरोप तय होने के बाद आरोपी को सामान्य रूप से ज़मानत नहीं दी जानी चाहिए। बयान में यहां या वहां की विसंगतियों को देखकर भी इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

6. पक्षों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों को सुनने के बाद और 'एक्स' बनाम राजस्थान राज्य और अन्य (उपरोक्त) में पारित सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखते हुए, मुझे यह आवेदक को ज़मानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं लगता। ज़मानत आवेदन गुण-दोष से रहित पाया जाता है और तदनुसार, **खारिज** किया जाता है।

7. हालांकि, यह निर्देश दिया जाता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष लंबित उपरोक्त मामले को सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जैसा कि **विनोद कुमार बनाम पंजाब राज्य; 2015 (3) एस.सी.सी. 220 और हुसैन और अन्य बनाम भारत संघ; (2017) 5 एस.सी.सी. 702**, के मामलों में उच्चतम न्यायालय के हाल के फैसलों में निर्धारित किया गया है, अगर कोई कानूनी बाधा नहीं है, जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए।

8. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां की गई टिप्पणियां ज़मानत आवेदन के निपटान से संबंधित पक्षकारों द्वारा लाए गए तथ्यों तक सीमित हैं और उक्त टिप्पणियों का मुकदमे के दौरान मामले के गुण-दोष पर कोई असर नहीं पड़ेगा।

जनवरी 19, 2026

(रवि कांत)

(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)